म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.

क्रमांक/बोर्ड/यो./गैर.तक./85–पार्ट–1/2017–18/758 भोपाल, दिनांक 31/12/2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, चम्बल।

विषयः– मण्डी/व्यापारी पुरस्कार योजना में संशोधन के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/पु.योजना/60/2017–18/1937–1938 दिनांक 14.05.2018

00000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार विगत वर्ष 2018 में मण्डी पुरस्कार वितरित किये गये थे। उपरोक्तानुसार इस वर्ष भी पुरस्कार वितरण किया जाना है। **संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन किया जाकर** प्रदेश की ''क'' ख'' ग'' एवं घ'' वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों के व्यापारियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से मण्डी समितियों के बीच उत्कृष्टता के लिये प्रतिस्पर्धा हो इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक वर्ष ऐसी उत्कृष्ट मण्डी समितियों के व्यापारियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरूस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

01. मण्डी/व्यापारी पुरूस्कार योजना का स्वरूप :–

मण्डी/व्यापारी पुरूस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात् माह जून में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा आयोजित किए जाने वाले मण्डी सम्मेलन में समस्त मण्डी समितियों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में, योजना में पात्र मण्डी समितियों के पदाधिकारियों को एवं मण्डी के व्यापारियों को पुरूस्कृत किया जाएगा, उन्हें पुरूस्कार स्वरूप प्रशंसा पत्र एवं राशि प्रदान की जाएगी। योजना में पात्र एवं उत्कृष्ट मण्डी को सामुहिक पुरूस्कार योजना तथा व्यापारियों को व्यक्तिगत पुरूस्कार योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किया जाएगा।

संशोधन :– पुरस्कृत कृषि उपज मण्डी समिति, व्यापारी एवं ई–नेम मण्डी को तीन वर्ष अंतराल के बाद ही पुनः पुरस्कार हेतु विचार सूची में रखा जावेगा।

02. मण्डी/व्यापारी पुरूस्कार योजना के लिए पात्रता :–

(अ) **सामूहिक पुरूस्कार योजना** :– योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग की 04 मण्डियां एवं अंतर्राज्जीय नाकों की 03 मण्डियां, ई–नाम की 03 मण्डियां कुल 22 मण्डियों का चयन कर पुरूस्कृत की जाएंगी।

(1) **प्रत्येक संवर्ग की 04 मण्डियां के चयन का आधार :–**

(i) ऐसी मण्डी समितियां जिसकी अधिकतम आवक है।

(ii) ऐसी मण्डी समितियां जिसकी मण्डी शुल्क से अधिकतम वार्षिक आय हो।

(iii) ऐसी मण्डी समितियां जिसकी आनुपातिक रूप से अधिकतम वार्षिक आय एवं आवक में वृद्धि हो।

स्पष्टीकरण – उपरोक्त तीनों मापदण्डों का समान रूप (1/3) का वेटेज होगा।

(II) <u>अंतर्राज्जीय नाके की 03 मण्डियों के चयन का आधार</u> :- ऐसी मण्डी समितियां जिनका अंतर्राज्जीय नाकों पर अधिकतम राजस्व के प्रकरण तैयार किए गए हों।

(III) <u>ई-नाम की 03 मण्डियों के चयन का आधार</u> :-ई-नाम की ऐसी मण्डियां जिनके द्वारा ई-नाम में अधिकतम व्यापार किया गया।

संशोधन :- ई-नाम की 03 अन्य मण्डियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा जिनके द्वारा व्यापार में अधिकतम (प्रतिशत में) वृद्धि की गई हो।

(ब) <u>व्यक्तिगत पुरूस्कार योजना</u> :-योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग की मण्डियों के 03 व्यापारियों तथा ई-नाम की मण्डियों के 03 व्यापारियों कुल 15 व्यापारियों को चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा :-

(i) इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक संवर्ग की मण्डी समितियों के ऐसे 03 व्यापारी जिनके द्वारा अधिकतम तथा समय-सीमा में मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया है। जिसका विगत वर्षों का लेखा सत्यापन कार्य समय पर कराया गया है, पात्र होंगे।

(ii) ई-नाम मण्डी के ऐसे 03 व्यापारी जिनके द्वारा अनुपातिक रूप ई-नाम में अधिकतम व्यापार किया हो।

संशोधन :- मण्डी समितियों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया जायेगा। जिसका चयन का आधार निम्नानुसार रहेगाः-

(i) विजीलेंस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन।

(ii) अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध व्यापार रोकथाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन।

(iii) मण्डी संचालन एवं व्यवस्था में विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन।

03. <u>मण्डी पुरूस्कार योजनान्तर्गत पुरूस्कार राशिः</u>-

(अ) <u>सामुहिक पुरूस्कार</u> :- योजना में पात्र एवं चयनित प्रदेश की कुल 22 मण्डियों को रूपये 4.00 लाख प्रति मण्डी के मान से पुरूस्कार राशि देय होगी। इस पुरूस्कार राशि का उपयोग मण्डी समितियां मण्डी स्तर पर प्रस्ताव पारित कर मण्डी के अंतर्गत अधोसंरचना, स्वच्छता एवं कृषकों को सुविधा प्रदान करने का कार्य कराए जा सकेंगे। मण्डी समिति उक्त कार्यों के लिए राशि की स्वीकृति के लिए सक्षम होगी।

(ब) <u>व्यक्तिगत पुरूस्कार</u> :-

(I) योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग की मण्डी समितियों के 03 व्यापारियों को निम्नानुसार पुरूस्कार की राशि देय होगी।

(i) 'क' संवर्ग के 03 व्यापारियों - रूपये 50,000/- प्रति व्यापारी
(ii) 'ख' संवर्ग के 03 व्यापारियों - रूपये 40,000/- प्रति व्यापारी
(iii) 'ग' संवर्ग के 03 व्यापारियों - रूपये 30,000/- प्रति व्यापारी
(iv) 'घ' संवर्ग के 03 व्यापारियों - रूपये 25,000/- प्रति व्यापारी

(II) योजना के पात्र तथा चयनित ई–नाम की 03 मण्डियों के व्यापारियों पुरूस्कार की राशि निम्नानुसार होगी :–
ई–नाम के चयनित 03 व्यापारियों को – रूपये 50000/– प्रति व्यापारी

04. **योजना में पुरूस्कार की चयन की प्रक्रिया :–**

सभी श्रेणी के पुरस्कारों हेतु पात्र मण्डी/व्यक्तिगत पुरस्कारों का चयन किये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की चयन समिति गठित की गई है :–

1. अपर संचालक (नियमन, एम.आई.एस., प्रशासन, ई–नेम)
2. अपर संचालक (कार्मिक)
3. अपर संचालक (वित्त)
4. अपर संचालक (प्रांगण)
5. संयुक्त संचालक (योजना)
6. संयुक्त संचालक (विधि)
7. संयुक्त संचालक (ई–नेम)
8. चीफ प्रोग्रामर (एम.आई.एस.)

उपरोक्त समिति पुरस्कार वितरण हेतु पुरस्कृत किये जाने वालों की चयनित सूची उपलब्ध करायेगी।

05. **योजना का क्रियान्वयन** :–योजना के क्रियान्वयन के लिए अपर संचालक (नियमन) मण्डी बोर्ड स्तर पर नोडल अधिकारी रहेंगे। वे मापदण्डों के अनुसार चयनित व्यापारियों संबंधितों को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मण्डी समितियों के पदाधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न कराएंगे। इस योजना में आने के लिए/उपस्थित होने के लिए मण्डी पदाधिकारियों को पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस योजना में उपस्थित होने वाले पदाधिकारियों को मण्डी समितियां नियमानुसार यात्रा भत्ता आदि का भुगतान करेगी।

06. **योजना की वित्त व्यवस्था :–**

योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रदेश स्तरीय मण्डी सम्मेलन के लिए होने वाले व्यय की व्यवस्था कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि के उद्भूत ब्याज की राशि से होगी तथा पुरूस्कार राशि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था बोर्ड बजट में प्रावधान कर की जाएगी।

अतः आंचलिक अधिकारी उपरोक्त बिन्दुओं पर व्यापक समीक्षा के आधार पर ''क'' ख'' ग'' एवं घ'' सवंर्ग की सर्वोत्तम कार्य करने वाली मण्डी समितियों के सचिवों के नाम, पदनाम एवं मण्डी में व्यापार करने वाले उत्कृष्ट व्यापारियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों की व्याख्या करते हुये एकजाई प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत के साथ दिनांक 25.01.2019 तक उपलब्ध करावे।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.तक./भो./85–पार्ट/2019–20/759 भोपाल,दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

2. कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

4. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.

5. अपर संचालक (समस्त) ....मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल.

6. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) ....मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल.

7. ✗ संयुक्त संचालक/उपसंचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

8. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला...............................(समस्त)

28/12/19

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल